UPBJ010070802022

न्यायालय अपर जिला जज, कोर्ट नं०–1, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (राम अवतार यादव), (उच्चतर न्यायिक सेवा)–

UP06041

सिविल निगरानी संख्या 126/2022

शक्ति गोस्वामी पुत्र छत्रपति गोस्वामी, आयु 51 वर्ष, निवासी प्रो०कोम जूस सैन्टर व ओम टी स्टॉल, नगीना चौराहा कस्बा व परगना धामपुर, जिला बिजनौर।

.....निगरानीकर्ता/ प्रतिवादी

बनाम

1. मृतक कृष्णपाल सिंह पुत्र श्री मुख्तयार सिंह
2. श्रीमति सावित्री देवी पत्नी स्व० कृष्णपाल सिंह

निवासीगण ग्राम मोहम्मदपुर सुल्तान, पोस्ट हबीबवाला परगना व तहसील धामपुर, जिला बिजनौर।

3. श्रीमती प्रियंका पुत्री स्व० कृष्णपाल सिंह पत्नी सचिन कुमार, निवासी मोहल्ला बाडवान हाल निवासी ग्राम मौहम्मदपुर सुल्तान पोस्ट हबीबवाला, परगना व तहसील धामपुर, जिला बिजनौर।

..... प्रत्युत्तरदातागण/वादीगण,

<u>निर्णय</u>

01. प्रस्तुत सिविल निगरानी विद्वान सिविल जज (सीनियर डिविजन), बिजनौर द्वारा मूलवाद सं० 425/2011, कृष्णपाल सिंह आदि बनाम शक्ति गोस्वामी में पारित आदेश दिनांकित 18–07–2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र कागज सं० क–86 को स्वीकार किया है।

02. प्रस्तुत निगरानी के निस्तारण हेतु अवलोकनार्थ तलब की गयी मूल वाद की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादीगण/प्रत्युत्तरदातागण द्वारा मूलवाद संख्या 425/2011 कृष्णपाल सिंह आदि बनाम शक्ति गोस्वामी विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण के विरुद्ध वादीगण के मकान व दुकान से बेदखली हेतु योजित किया गया है।

03. वादीगण द्वारा वादपत्र में संशोधन किये जाने हेतु प्रार्थनापत्र कागज संख्या क–86 इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि "प्रतिवादी, वादीगण की सम्पत्ति पर अवैध एवं अनाधिकृत रूप से अतिक्रमणकारी के रूप में काबिज है। प्रतिवादी के विरूद्ध वादीगण वाद योजित करने की दिनांक से अंकन 50/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रयोग की क्षति पूर्ति की मांग करते हैं। सहवन भूल से

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2024.08.03 15:25:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

उक्त अनुतोष के संबंध में वादपत्र में लिखे जाने से रह गया है, इसलिए वादपत्र में संशोधन की आवश्यकता है। संशोधन के माध्यम से मुख्य रूप से वाद पत्र के पैरा नं० 10 के बाद पैरा नं०–10 (अ) इस आशय की लिखने अनुमति चाही गयी है कि प्रतिवादी, वादीगण की सम्पत्ति पर अतिक्रमणकारी (Trespasser) के रूप में काबिज है और इस कारणवश प्रतिवादी, वादीगण वाद को कम से कम अंकन 50/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रयोग की क्षति पूर्ति के रूप में वाद योजित करने की दिनांक से अदा करने का उत्तरदायी है। किन्तु 3 वर्ष से अधिक क्षतिपूर्ति की मांक काल बाधित हो चुकी है। अतः वादी प्रार्थऩा पत्र संशोधन प्रस्तुत करने की दिनांक से 3 वर्ष पूर्व की क्षति पूर्ति अंकन 50/– प्रतिदिन के हिसाब से अंकन 54,750/– (चव्वन हजार सात सौ पचास) रूपये की मांग का वाद भी योजित करता है।" इसके अतिरिक्त उक्त संशोधन के आनुषंगिक अन्य संशोधन भी याचित किया गया है।

04. उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध प्रतिवादीगण की ओर से आपत्ति कागज सं० ग–88 प्रस्तुत कर कथन किया गया कि प्रतिवादी ने प्रश्नगत सम्पत्ति को पूर्व स्वामी अशोक वर्मा से किराये पर ली थी और उस पर किरायेदार के तौर पर काबिज है। अब 10 वर्ष बाद वादी ने वादपत्र में संशोधन का प्रार्थना पत्र बदनियती से दिया है। प्रतिवादी प्रश्नगत सम्पत्ति पर अतिक्रमणकारी के रूप में काबिज नहीं है। इस बारे में वादी ने गलत तौर से धनराशि हर्जा क्लेम किया है, उसकी अदायगी के लिए प्रतिवादी जिम्मदार नहीं है। वादीगण ने गलत तौर से अंकन 50/–रूपये प्रतिदिन का हर्जा कथित प्रतिपूर्ति की धनराशि की मांग की है, जो गलत है। वांछित संशोधन मैलाफाईडी तौर से क्लेम किया गया है, जो संशोधित सी०पी०सी० के प्रावधानों से बाधित है। उपरोक्त आधारों पर वादीगण की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

05. विद्वान विचारण न्यायालय ने वादीगण के उक्त प्रार्थनापत्र पर सुनवायी उपरान्त प्रश्नगत आदेश दिनांकित 18–07–2022 पारित कर वादीगण की ओर से प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र कागज सं० क–86 स्वीकार किये जाने का आदेश पारित किया। उक्त आदेश से क्षुब्ध होकर निगरानीकर्ता/ प्रतिवादी की ओर से यह सिविल निगरानी योजित की गयी है।

06. संक्षेप में निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय परवर्श है तथा मिसरीडिंग ऑफ साक्ष्य पर आधारित है तथा खिलाफ कानून है। अधीनस्थ न्यायालय ने वांछित संशोधन स्वीकर करके अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया है तथा इललीगैलिटी तथा मैटीरियल इररैगुलिटी के साथ कार्य किया है, जिससे निगरानीकर्ता को मैटीरियल प्रिजुडिस भी हुआ है। मूलवाद में दिनांक 07.01.2019 को तनकियां बन चुकी है, उसके लगभग तीन वर्ष की अवधि के बाद वादी ने वांछित संशोधन प्रार्थना पत्र वाद पत्र में चाहने हेतु खिलाफ कानून दिया है, जो स्वीकार किया जाने योग्य नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने वांछित संशोधन को स्वीकार करके कानूनन व इन्साफन गलती की है। वांछित संशोधन के तथ्यों के संबंध में वादी को पहले से बखूबी ज्ञान था। वादी ने वाद पत्र में संशोधन प्रार्थना पत्र साक्ष्य की स्टेज पर दिया है, जो खिलाफ कानून है और स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, जिससे निगरानीकर्ता को अपार हानि हुई है। अतः न्यायहित में निगरानी हाजा को बमय खर्चा हरदो अदालत स्वीकार किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश प्रार्थना पत्र संशोधन को

खण्डित किया जाये एवं अन्य दादरसी जो न्यायालय उचित समझें बहक निगरानीकर्ता प्रदान की जायें।

07. निगरानीकर्ता/प्रतिवादी की ओर से तर्क दिया गया है कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद प्रश्नगत दुकान व मकान से वादीगण को बेदखल कर, वादी को दखल दिलाये जाने हेतु दिनांक 01.07.2011 को योजित किया गया है। मूलवाद में दिनांक 07.01.2019 को वाद बिन्दु विरचित किये गये तथा साक्ष्य की कार्यवाही प्रारम्भ हो जाने के बाद अति विलम्ब से दिनांक 09.11.2021 को वादीगण/प्रतिउत्तरदातागण ने संशोधन प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया, जिसे विचारण न्यायालय ने गलत निष्कर्ष देते हुए स्वीकार कर लिया। विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध एवं त्रुटिपूर्ण है। अतः निगरानी स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.07.2022 निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ता की ओर से अपने तर्कों के समर्थन में निम्न विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गयी हैं–

1– 2009 (74) ए०एल०आर० 357 (सुप्रीम कोर्ट) विद्याबाई एवं अन्य बनाम पदमालथा एवं अन्य

2– 2006 (2) ए०आर०सी० 651 मलखान सिंह बनाम श्रीमती विमला देवी एवं अन्य

3– 2006 (1) ए०डब्लू०सी० 1054 (इलाहाबाद हाईकोर्ट) गौरीशंकर बनाम सीताराम एवं अन्य ।

08. वादीगण/प्रत्युत्तरदातागण की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश विधिसम्मत है। वादी द्वारा वादपत्र में जो संशोधन याचित किया गया है उससे वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं होती है। निगरानीकर्ता/प्रतिवादीगण मूलवाद को निस्तारित नहीं होने देना चाहते हैं। विचारण न्यायालय ने संशोधन प्रार्थनापत्र को स्वीकार करने में यह पाया है कि प्रस्तावित संशोधन से वाद की प्रकृति प्रभावित नहीं होती और ही कोई नया वाद कारण उत्पन्न होता है। अतः वादी का प्रार्थना पत्र क–86 विधिपूर्ण ढंग से स्वीकार किया गया है, जो सही है। निगरानीकर्तागण की निगरानी खारिज किये जाने योग्य है। उक्त तर्क के समर्थन में प्रत्युत्तरदाता/वादीगण की ओर से निम्न विधि व्यवस्थायें प्रस्तुत की गयी हैं–

1– 2007 (25) एल०सी०डी० 1515 (सुप्रीम कोर्ट) रामचन्द्र सखाराम महाजन बनाम दामोदर त्रिम्बक तंकसाले (डी०) एवं अन्य

2– ए०आई०आर० 2006 सुप्रीम कोर्ट 1647 राजेश कुमार अग्रवाल एवं अन्य बनाम के०के० मोदी एवं अन्य।

3– 2002 (20) एल०सी०डी० 529 (सुप्रीम कोर्ट) प्रेम बक्शी एवं अन्य बनाम धर्मदेव एवं अन्य।

09. मैंने उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रश्नगत आदेश दिनांक 18–07–2022 एवं मूलवाद संख्या 425/2011 कृष्णपाल सिंह आदि बनाम शक्ति गोस्वामी की तलविदा मूल पत्रावली का परिशीलन किया। उभयपक्ष की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्थाओं का भी मैंने ससम्मान अवलोकन किया।

10. प्रस्तुत निगरानी वादी द्वारा वादपत्र में संशोधन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र कागज संख्या क–86 स्वीकार कर लिये जाने के विरूद्ध योजित की गयी है। अतः यहां सुसंगत प्रावधान आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता का उल्लेख किया जाना समीचीन है जो इस प्रकार है–

<u>आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता–</u>

अभिवचन का संशोधन– न्यायालय दोनों में से किसी भी पक्षकार को कार्यवाहियों के किसी भी प्रक्रम में अनुज्ञा दे सकेगा कि वह अपने अभिवचनों को ऐसी रीति से और ऐसे निबन्धनों पर, जो न्यायसंगत हो, परिवर्तित करें या संशोधित करे और सभी ऐसे संशोधन किये जायेंगे जो पक्षकारों के बीच में विवादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों के अवधारण के प्रयोजन के लिए आवश्यक हो, परन्तु विचारण प्रारम्भ हो जाने के पश्चात् संशोधन के लिए कोई भी आवेदन पत्र तब तक अनुज्ञात नहीं किया जायेगा, जब तक न्यायालय इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचता है कि सम्यक् तत्परता के बावजूद पक्षकार विचारण के प्रारम्भ होने के पूर्व मामले को नहीं उठा सकता था।'

11. मूलवाद की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादपत्र में यह कहा गया है कि उसने दिनांक 10.07.2002 को जरिये बैनामा अशोक कुमार वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा निवासी धामपुर, बिजनौर से जमीन मकान खरीदा था। जिस समय बैनामा कराया था, उस समय मकान के साथ तीन दुकान बनी हुई थी, जिसमें तीन किरायेदार– मौ० नकी, निसार अहमद व आफाक अहमद काबिज थे। वादी ने निसार अहमद वाली दुकान खाली कराकर सरदार इन्द्रपाल सिंह को किराये पर दे दिया। उस दुकान एवं उसके पूर्व की दुकान को सन् 2008 में मास्टर प्लान के अन्तर्गत प्रशासन ने ध्वस्त करा दिया व दक्षिण–पश्चिम वाली दुकान जिसमें मौ० नकी किरायेदार था, वही बची। जिसे मौ० नकी ने जून, 2008 में खाली कर दिया था। जून, 2008 के अन्त में वादी नं०–1 प्रतिवादी जो जूस का ठेला लगाता था, उसे समान रखने की इजाजत दे दी। वादी संख्या–1 ने प्रतिवादी की परेशानी व मजबूरी को देखते हुए कुछ सामान अपनी बैनामाशुदा जमीन व मकान की दक्षिणी–पूर्वी में रखने की इजाजत दे दी। प्रतिवादी उस मकान पर जबरन कब्जा करने के लिए किरायेदारी का एक प्रकीर्ण वाद सिविल जज (जू०डि०), नगीना में वाद संख्या–88/2011 दाखिल कर दिया, जिसका उसे कोई अधिकार नहीं है। वादी द्वारा प्रतिवादी से उसकी आज्ञा से रखे गये सामान को हटाने के लिए कहने पर टालमटोल करने लगा और वादी संख्या–1 के विक्रेता अशोक कुमार वर्मा से मिलकर जाली व नुमाइशी किरायानामा कूटरचना कर बना लिया। प्रतिवादी से कब्जा हटाने से कहने पर वह अपना कब्जा नहीं हटाया और अतिक्रमणकारी के रूप में काबिज है। जिसके लिये 50 रूपये प्रतिदिन के हिसाब से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक से 3 वर्ष तक का कुल अंकन 54,750/– रूपये की मांग के साथ ही प्रतिवादी को बेदखली के अनुतोष हेतु दावा दाखिल किया गया है।

12. प्रतिवादी की ओर से उत्तरपत्र कागज संख्या क–12 प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसने वादी के अधिकांश कथनों से इनकार करते हुए यह कहा है कि वह अशोक कुमार वर्मा का किरायेदार था, उसी समय से बतौर किरायेदार प्रश्नगत मकान में रह रहा है। वादीगण को किराया देकर रसीद प्राप्त करने को कहने पर रसीद नहीं दिया, तब उसने एक मुकदमा न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), नगीना में धारा–30 उ०प्र० शहरी संपत्ति अधिनियम संख्या 13 सन् 1972 के अन्तर्गत प्रकीर्ण वाद सं०–88/2011 शक्ति गोस्वामी बनाम कृष्णपाल सिंह आदि दाखिल किया है। इस प्रकार प्रतिवादी की ओर से अतिक्रमणी होने से इनकार किया गया है।

13. वादी द्वारा वादपत्र में संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थनापत्र कागज संख्या क–86, जिसका उल्लेख किया जा चुका है के माध्यम से वादी ने वादपत्र में पैरा 10(अ) के

रूप में यह संशोधन याचित किया है कि वादीगण की सम्पत्ति में प्रतिवादी अतिक्रमणकारी के रूप में काबिज है। अतः 50/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से वाद योजित करने की दिनांक से अदा करने का उत्तरदायी है, किन्तु तीन वर्ष से अधिक क्षतिपूर्ति की मांग कालबाधित हो जाने के कारण संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के दिनांक से तीन वर्ष पूर्व की क्षतिपूर्ति 50/– रूपये प्रतिदिन के हिसाब से 54,750/– रूपये भी प्रदान किये जाने की याचना की गई है। इसी के संबंध में आनुषंगिक संशोधन भी याचित किया गया है। विचारण न्यायाल द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश दिनांक 18.07.2022 के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय ने याचित संशोधन की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए आदेश में उल्लेख किया है कि 'वादपत्र में वांछित संशोधन करने से न तो वाद की प्रकृति प्रभावित होती है और न ही कोई नया वाद कारण उत्पन्न होता है। अतः वादी का संशोधन प्रार्थना पत्र क–86 स्वीकार कर संशोधन की अनुमति प्रदान की जाती है।'

14. पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में वाद पत्र में संशोधन भी किया जा चुका है तथा पत्रावली में साक्ष्य पूर्ण होकर अन्तिम बहस हेतु तिथि नियत हो रही है। प्रार्थनापत्र कागज संख्या क–86 में याचित संशोधन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि याचित संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं हो रही है, न ही कोई नया वाद कारण उत्पन्न हो रहा है। उक्त संशोधन से पक्षकारों के बीच वादग्रस्त वास्तविक प्रश्नों का निस्तारण होने में सुविधा होगी। अतः इस स्थिति में संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विचारण न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं किया है।

15. निगरानीकर्ता का तर्क है कि विचारण प्रारम्भ होने के पश्चात प्रस्तुत संशोधन प्रार्थनापत्र स्वीकार नहीं किया जा सकता, ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर त्रुटि किया है। इस संबंध में निगरानीकर्ता की ओर से विधि व्यवस्थाएं भी प्रस्तुत की गयी हैं। प्रस्तुत विधि व्यवस्था **2009 (74) ए०एल०आर० 357 (सुप्रीम कोर्ट) विद्याबाई एवं अन्य बनाम पदमालथा एवं अन्य** एंव विधि व्यवस्था **2006 (2) ए०आर०सी० 651 मलखान सिंह बनाम श्रीमती विमला देवी एवं अन्य** में माननीय न्यायालय ने अवधारित किया है कि ट्रायल प्रारम्भ हो जाने के पश्चात कोई संशोधन तभी स्वीकार किया जा सकता है जब संबंधित पक्ष यह साबित करें कि याचित संशोधन सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उसे उक्त तथ्य की जानकारी उसे नहीं थी। उल्लेखनीय है कि वादी द्वारा संशोधन प्रार्थना पत्र क–86 में स्पष्ट कहा है कि उसे भूलवश जानकारी नहीं हो पायी थी, इसलिए वादपत्र में उक्त संशोधन के तथ्य नहीं लिखे जा सकें। इन तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय ने संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। विधि व्यवस्था **2006 (1) ए०डब्लू०सी० 1054 (इलाहाबाद हाईकोर्ट) गौरीशंकर बनाम सीताराम एवं अन्य** में माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि संशोधन प्रार्थनापत्र के स्वीकार किये जाने के विरूद्ध निगरानी योजित की जा सकती है।

16. विपक्षीगण/वादीगण की ओर से भी विधि व्यवस्थाएं प्रस्तुत की गयी है। वादीगण की ओर से प्रस्तुत विधि व्यवस्था **2007 (25) एल०सी०डी० 1515 (सुप्रीम कोर्ट) रामचन्द्र सखाराम महाजन बनाम दामोदर त्रिम्बक तंकसाले (डी०) एवं अन्य** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि वाद के समुचित व संतोषजनक न्याय निर्णयन हेतु संशोधन यदि आवश्यक हो तो उसे स्वीकार किया जा सकता है,

यद्यपि वह विलम्ब से प्रस्तुत किया गया हो। इसी प्रकार विधि व्यवस्था **ए०आई०आर० 2006 सुप्रीम कोर्ट 1647 राजेश कुमार अग्रवाल एवं अन्य बनाम के०के० मोदी एवं अन्य** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि आदेश 6 नियम 17 सिविल प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत विहित प्रावधान आंशिक रूप से आदेशात्मक एवं आंशिक रूप से निदेशात्मक (Partly mandatory and partly directory)है। यदि वास्तविक विवाद को निस्तारण करने हेतु संशोधन आवश्यक हो तो उसे स्वीकार करना चाहिए। इस प्रकार विधिक प्रावधान एवं उक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में स्पष्ट है कि यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि याचित संशोधन से पक्षकारों के बीच वास्तविक विवाद के निस्तारण में मदद मिलेगी तो उन्हें स्वीकार किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त प्रतिउत्तरदातागण/वादीगण की ओर से संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिये जाने के विरूद्ध निगरानी की पोषणीयता के बिन्दू पर विधि व्यवस्था **2002 (20) एल०सी०डी० 529 (सुप्रीम कोर्ट) प्रेम बक्शी एवं अन्य बनाम धर्मदेव एवं अन्य** प्रस्तुत की गयी है, जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया है कि अभिवचन में संशोधन हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र यदि स्वीकार कर लिया गया है तो उसकी निगरानी पोषणीय नहीं है।

17. अतः उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में यह स्पष्ट है कि संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के विरूद्ध निगरानी पोषणीय नहीं है, इसके अतिरिक्त यह भी कि वादी द्वारा याचित संशोधन से वाद की प्रकृति परिवर्तित नहीं हो रही है और न ही कोई नया वाद कारण उत्पन्न हो रहा है, ऐसी स्थिति में प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 18.07.2022 जिसके द्वारा वादी का संशोधन प्रार्थनापत्र कागज संख्या क–86 स्वीकार किया गया है, उसमें कोई विधिक त्रुटि एवं तात्विक अनियमितता नहीं पायी जाती है। अतः उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

आदेश

18. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी संख्या 126/2022, शक्ति गोस्वामी बनाम कृष्णपाल सिंह आदि खारिज की जाती है।

19. विचारण न्यायालय का अभिलेख विचारण न्यायालय को अविलंब वापस भेजा जाये। पक्षकार दिनांक 08–08–2024 को विचारण न्यायालय में उपस्थित हों।

दिनाँक 02–08–2024

(राम अवतार यादव)
अपर जिला जज, कोर्ट नं0–1,
बिजनौर।

20. निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनाँक 02–08–2024

(राम अवतार यादव)
अपर जिला जज, कोर्ट नं0–1,
बिजनौर।